"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 जनवरी 2018—— पौष 14, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-52/2017/सात-1. —— छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम भाग-4 नियम 10 की कंडिका (ढढ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा रायपुर जिला के नगर-तिल्दा व नेवरा स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों का नाम "तिल्दा व नेवरा" के स्थान पर "तिल्दा-नेवरा" (अंग्रेजी में - Tilda-Neora) करती है.

इस प्रस्ताव पर राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह लिखित में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर को उक्त अवधि के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.